



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2100

दिनांक- 29.08.2025

### जोन- उत्तरी / थाना अलीगंज

- क्राइम टीम/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना अलीगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना अलीगंज क्षेत्रान्तर्गत व जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चैन स्नैचिंग/लूट करने वाला 01 शातिर लुटेरा/स्नैचर को किया गया गिरफ्तार।
- लूट की 02 अदद टूटी हुई चैन (पीली धातु) व घटना में प्रयुक्त मो0सा0 बरामद।

### 01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 26.08.2025 को वादी श्री आशीष कुमार मौर्या पुत्र श्री प्रेम चन्द्र मौर्या नि0 CPWD हॉलिडे होम अलीगंज लखनऊ मूल पता ग्राम सैदनपुर पोस्ट मुरादगंज थाना लाइन बाजार जनपद जौनपुर द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि मेरी पत्नी श्रीमती तुमुल कुशवाहा के गले से अज्ञात द्वारा चैन छीनकर/ झपटकर भाग गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कर अज्ञात अभियुक्त की तलाश प्रारम्भ की गयी।

दिनांक 29.08.25 का क्राइम/ सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना अलीगंज की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा तलाश संदिग्ध व्यक्ति/वाहन क्षेत्र में भ्रमणशील होकर जमीनी सूचना तंत्र इलेक्ट्रानिक का सहारा लेते हुए व गश्त करते हुए केन्द्रीय विद्यालय के पास खडे होकर आपस में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु चर्चा कर रहे थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दिन दहाड़े लूट/ छिनैती करने वाला अभियुक्त केन्द्रीय विद्यालय के पास मोटर साइकिल लेकर खड़ा है और लूट का सामान बेचने की फिराक में है, इस सूचना पर क्राइम/सर्विलांस टीम (डीसीपी उत्तरी) व थाना अलीगंज पुलिस टीम उक्त स्थान पर पहुँची तो देखा कि मो0सा0 लेकर एक व्यक्ति खड़ा था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हो रही थी। पुलिस टीम द्वारा एकबारगी दबिश देकर घेरघार कर उस व्यक्ति को मौके पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो अपना नाम विशाल कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम एल-1/1219/08 सचिवालय कालोनी इन्दिरानगर सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 24 वर्ष बताया। बरामद शुदा माल के सम्बन्ध में कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि साहब दिनांक 25.08.2025 को एक महिला के गले से चैन छीनकर/झपटकर मो0सा0 से भाग गये थे। इस चैन को बेचने के लिए किसी ग्राहक की तलाश कर रहे थे, कि आप लोगो ने पकड़ लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि कुछ दिन पहले थाना विकासनगर से एक महिला की चैन छीना था। जिसके सम्बन्ध में थाना विकासनगर में मु0अ0सं0 124/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है।

तदोपरान्त पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार जामातलाशी ली गयी तो पकड़े गये व्यक्ति के पास से दो अदद पीली धातु की टूटी हुई चैन बरामद हुआ, उक्त अपराध के सम्बन्ध में उच्चाधिकारी द्वारा अभियुक्त विशाल कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी- उपरोक्त से पूछताछ की गयी, जिसमें अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हाँ मेरे द्वारा चैन स्नैचिंग की गयी है। थाना विकास नगर और अलीगंज में कुल आठ चैन-स्नैचिंग मेरे द्वारा की गयी है, अबकी बार मैं पकड़ा गया हूँ और मैं अपनी बाइक जो हॉण्डा लियो नीले रंग की है, जो मेरे पिता अशोक कुमार के नाम से है, जहाँ पर महिला को चैन पहने हुए देखता था उसकी रेकी करते हुए, झपट्टा मार के चैन छीनकर निकल जाता था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी व पकड़े गये अभियुक्त विशाल कुमार उपरोक्त को उसके द्वारा किये गये अपराध व अपराध की धारा 304(2)/317(2) बीएनएस से अवगत कराते हुए केन्द्रीय विद्यालय के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त होने वाले हॉण्डा लियो संख्या यूपी32एलपी 5438 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

#### **02-अपराध कारित करने का तरीका -**

लूट/झपटमारी करना

#### **03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

1. विशाल कुमार पुत्र अशोक कुमार नि0 ग्राम एल-1/1219/08 सचिवालय कालोनी इन्दिरानगर सर्वोदय नगर थाना गाजीपुर लखनऊ उम्र 24 वर्ष (पढ़ाई)

#### **04-अनावरित अभियोग -**

1. मु0अ0सं0 182/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना अलीगंज लखनऊ
2. मु0अ0सं0 124/2025 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना विकासनगर लखनऊ

#### **05-बरामदगी -**

- 02 अदद टूटी हुई चैन पीली धातु।
- घटना मे प्रयुक्त एक मो0सा0- संख्या यूपी 32 एलपी 5438 , होण्डा लियो, रंग नीला

#### **06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

| क्राइम/सर्विलांस टीम डीसीपी उत्तरी                           | थाना अलीगंज पुलिस टीम                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| क्राइम/सर्विलांस टीम प्रभारी उ0नि0 श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह | श्री अशोक कुमार सोनकर प्रभारी निरीक्षक थाना अलीगंज |
| हे0का0 नदीम                                                  | उ0नि0 श्री संतोष कुमार आद्याप्रसाद दूबे            |
| हे0का0 अवधेश गिरी                                            | का0 रजत यादव                                       |
| हे0का0 संतोष कुमार                                           | का0 अमन कुमार शुक्ला                               |
| हे0का0 अमित कुमार गौतम                                       | का0 कौशलेन्द्र                                     |
| का0 विशेष दुहुण                                              |                                                    |
| का0 राघवेन्द्र प्रताप सिंह                                   |                                                    |





## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2101

दिनांक- 29.08.2025

### जोन मध्य / थाना-हुसैनगंज

- थाना हुसैनगंज पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- चोरी की 01 अदद मो0सा0 बरामद।

#### 01-संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 29.08.2025 को थाना स्थानीय की पुलिस टीम रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में रवाना होकर छितवापुर पुलिस चौकी के पास मौजूद थे कि मुखबिर खास ने सूचना दिया कि चारबाग की ओर से एक व्यक्ति चोरी की मोटरसाइकिल लेकर आ रहा है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम मय मुखबिर के छितवापुर पुलिस चौकी से चलकर हर विलास अस्पताल से थोड़ा आगे बाल विद्या मंदिर स्कूल गेट नं0 2 के पास सड़क पर के पास चारबाग की ओर से आ रहे व्यक्ति को हम पुलिस वालों ने घेर घार कर बाल विद्या मंदिर चारबाग गेट नं0 2 पर पकड़ लिया पकड़े हुए व्यक्ति से पूछा तो उसने बताया कि साहब मैंने यह बाइक नं0- यूपी34एबी5721 एक दिन पहले मेडिकल कॉलेज केजीएमयू लखनऊ के अंदर से चुराई थी। आप लोगों को देखकर डर गया इस लिए भाग रहा था।

पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अली खान उर्फ सोनू पुत्र निजामुद्दीन उम्र 30 वर्ष निवासी राम कृपाल नगर पारा विनोद के मकान में थाना पारा लखनऊ मूल पता चुटकी भण्डार स्कूल के पास हाता ख्वाजा गौहर हुसैनगंज थाना हुसैनगंज लखऊ बताया जामा तलाशी से पहने हुए जींस के पैन्ट के पीछे की जेब से 50 रु0 नकद बरामद हुए।

उक्त मोटरसाइकिल के केजीएमयू अस्पताल लखनऊ से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना चौक से जरिए दूरभाष वार्ता के क्रम में ज्ञात हुआ कि थाना चौक में मु0अ0सं0 216/2025 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत है।

अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराकर हिरासत पुलिस लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान मा0 सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अभियुक्तगण उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

## **02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. अली खान उर्फ सोनू पुत्र निजामुद्दीन निवासी राम कृपाल नगर पारा विनोद के मकान में थाना पारा लखनऊ मूलपता- चुटकी भण्डार स्कूल के पास हाता ख्वाजा गौहर थाना हुसैनगंज लखनऊ उम्र करीब 30 वर्ष ।

## **03-पंजीकृत अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 0119/2025 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज कमिश्नेट लखनऊ ।

## **04-ब्रामदगी -**

- मोटरसाइकिल वाहन संख्या UP34AB5721 एच0एफ0 डीलक्स रंग काला – लाल ।

## **05-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 0706/2017 धारा 379/411 भा0द0वि0, थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ ।
2. मु0अ0सं0 0707/2017 धारा 3/25 आयुध अधि0, थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ ।
3. मु0अ0सं0 0277/2022 धारा 411/414 भा0द0वि0, थाना सरोजनीनगर जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 0119/2025 धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ ।
5. मु0अ0सं0 0216/2025 धारा 303 (2) बी0एन0एस0 थाना चौक जनपद लखनऊ ।

## **06-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 वेदप्रकाश यादव, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ ।
2. उ0नि0 शिवम वर्मा, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ ।
3. का0 नितिन शर्मा, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ ।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2104

दिनांक- 29.08.2025

### जोन- मध्य / थाना-हुसैनगंज

- थाना हुसैनगंज पुलिस व सर्विलांस टीम (मध्य) की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अन्तर्राज्यीय गैंग का सदस्य 01 शातिर चोर /अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

#### 01-कार्यवाही:-

थाना हुसैनगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 0118/2025 धारा 303(2)/324(2) बी०एन०एस० से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त कालिदास पुत्र पेरूमल स्वामी वर्तमान पता म०सं० 617 एफ ब्लॉक दक्षिणपुरी नई दिल्ली स्थायी पता 23 बी- 2, गांधीनगर मोहनपुर नमक्कल तमिलनाडु उम्र करीब 45 वर्ष को उसके निवास स्थान म०सं० 617 एफ ब्लॉक दक्षिणपुरी नई दिल्ली को गिरफ्तार कर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की। अभियुक्त कालिदास उपरोक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

#### 02-संक्षिप्त विवरण:-

थाना स्थानीय पर दिनांक 27.08.2025 को वादी मुकदमा के प्रार्थना पत्र के आधार पर मु०अ०सं० 0118/2025 धारा 303(2)/324(2) बी०एन०एस० बावत अज्ञात द्वारा वादी की कार का शीशा तोड़कर बैग में रखे एप्पल का लैपटॉप, मैकबुक ऐर, मोबाइल, वायलेट, 20,000/- कैश, आईडेन्टिटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड व अन्य डॉक्यूमेंट्स को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया था।

मुकदमा उपरोक्त के वादी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जो मेरी गाडी से एयर पॉड्स चोरी हुये थे उसकी लोकेशन दक्षिणपुरी दिल्ली में दिख रही है। इस सूचना के आधार पर घटना का अनावरण हेतु तत्काल प्रभाव से थाना स्थानीय से पुलिस टीम को दक्षिणपुरी दिल्ली रवाना किया गया।

वादी मुकदमा के मोबाइल पर आ रही लोकेशन पर दबिश दी गयी तो एक व्यक्ति मौजूद मिला जिसने अपना नाम कालिदास पुत्र पेरूमल स्वामी वर्तमान पता म०सं० 617 एफ ब्लॉक दक्षिणपुरी नई दिल्ली स्थायी पता 23 बी- 2, गांधीनगर मोहनपुर नमक्कल तमिलनाडु बताया, जिसके कब्जे से वादी मुकदमा की गाडी से चोरी किये गये सामान एक अदद एयर पॉड्स व नकद 5200/- रुपये बरामद होने के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुये नियमानुसार दिनांक 28.08.2025 गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के दौरान मा० सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकार आयोग के आदेशों / निर्देशों का पूर्णतः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।



### **03-पूछताछ विवरण:-**

अभियुक्त कालिदास उपरोक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि मैं अपने साथी बाबू के साथ चोरी की इरादे से रात्रि में रोड के किनारे किनारे चलते हुये चारबाग की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में खड़ी एक गाडी के भीतर झाँक कर देखा था कि बैग में कुछ रखा है तो हम लोगो ने गाडी / कार का शीशा तोड़कर बैग सहित लैपटॉप, मोबाइल, पर्स, एयर पॉइस, कैश व कुछ कागजात चुराये थे। एयर पॉइस को मैंने अपने पास रख लिया था तथा लैपटाप व अन्य सामान मैंने बाबू को दे दिया था। जिसको बाबू ने 12,500/- रुपये में बेच दिया। किसको बेचा था। मुझे जानकारी नहीं है। बाबू ने हिस्से में मुझे 52,00/- रुपये दिया जो आपने बरामद कर लिये है। साहब हम अपने अन्य साथियों के साथ अन्य राज्य दिल्ली में भी बीच बीच में घूम फिर कर लोगो को भ्रमित कर गाडियो का शीशा तोड़कर व गाडियो का डिककी तोड़कर सामान व पैसो की चोरी करते है। पहले भी लखनऊ आकर कई चोरियाँ कर चुके है। चोरी करने के तुरन्त बाद ही सामान दिल्ली में बेच देते है और जो पैसा मिलता है आपस में बाँट लेते है। इस गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में जानकारी की जा रही है।

### **04-अपराध का तरीका:-**

अभियुक्त द्वारा घूम-घूमकर गाडियो का शीशा तोड़कर व गाडियों की डिककी तोड़कर गाडी में रखे सामान को चोरी कर लेने के सम्बन्ध में।

### **05-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-**

1. कालिदास पुत्र पेरूमल स्वामी वर्तमान पता म0सं0 617 एफ ब्लॉक दक्षिणपुरी नई दिल्ली स्थायी पता 23 बी- 2, गांधीनगर मोहनपुर नमक्कल तमिलनाडु उम्र करीब 45 वर्ष।

### **06-अनावरित अभियोग:-**

1. मु0अ0सं0 0118/2025 धारा 303(2)/324(2) व बढोत्तरी धारा 317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।

### **07-बरामदगी -**

- 01 अदद एयर पॉइस।
- नकद 5200/- रू0 बरामद।

### **08-अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 0118/2025 धारा 303(2)/324(2)/317(2) बी0एन0एस0 थाना हुसैनगंज लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 0127/2025 धारा 305(C) बी0एन0एस0 थाना कैसरबाग लखनऊ।
3. मु0अ0सं0 0199/2025 धारा 305(B) बी0एन0एस0 थाना हजरतगंज लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 50/2020 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना साकेत दिल्ली।
5. मु0अ0सं0 60/2020 धारा 379 भा0द0वि0 थाना साकेत दिल्ली।

आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

### **08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 गौरव पाण्डेय, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
2. उ0नि0 शिवम वर्मा, थाना हुसैनगंज जनपद लखनऊ।
3. हे0का0 दुर्गेश सिंह, सर्विलांस सेल लखनऊ।



## पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2103

दिनांक- 29.08.2025

जोन- उत्तरी / थाना माल

- **थाना माल पुलिस द्वारा 02 नफर वारण्टी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार ।**

### 01-सक्षिप्त विवरण:-

मा0 न्यायालय ए0सी0जे0एम0 IV लखनऊ द्वारा निर्गत गैर जमानती वारंट वाद संख्या 2900162/06 मु0अ0सं0 91/06 धारा 457/380/411 भादवि व वारंट वाद संख्या 2706692/12 मु0अ0सं0 74/05 धारा 401 भादवि थाना माल लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त धर्मेन्द्र पुत्र छोटक्के भुर्जी निवासी कस्बा व थाना माल जनपद लखनऊ व

वाद संख्या 2900162/06 मु0अ0सं0 91/06 धारा 457/380/411 भादवि थाना माल जनपद लखनऊ से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त पिन्टू पुत्र भगवानदीन नि0 ग्राम माल लखनऊ को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त के घर कस्बा माल से गिरफ्तार किया गया, वारंटी उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय से अग्रिम एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### 02-संबन्धित वाद-

1. वाद संख्या 2900162/06 मु0अ0सं0 91/06 धारा 457/380/411 भादवि वारण्टी अभियुक्त **पिन्टू पुत्र भगवानदीन**
2. वारंट वाद संख्या 2706692/12 मु0अ0सं0 74/05 धारा 401 भादवि थाना माल व वाद संख्या 2900162/06 मु0अ0सं0 91/06 धारा 457/380/411 भादवि थाना माल) **धर्मेन्द्र पुत्र छोटक्के**

### 03-गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त का विवरण:

- 1- धर्मेन्द्र पुत्र छोटक्के भुर्जी नि0 कस्बा व थाना माल लखनऊ उम्र 35 वर्ष ( मजदूरी)
- 2- पिन्टू पुत्र भगवानदीन नि0 ग्राम माल जनपद लखनऊ उम्र 37 वर्ष (मजदूरी)

### 04-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम थाना माल जनपद लखनऊ

1. उ0नि0 श्री रजनीशकान्त भारती
2. उ0नि0 श्री मो0 रोशन
3. का0 पंकज कुमार